

भाग-3

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

File No. FP/UP/Pipeline/122517/2021

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, (हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं।
15. क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। — हां।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है।

तिथि : 27.07.2021

स्थान : mbd.

नाम व पदनाम

सरकारी मोहर

(विजय सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 389 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 27 / 07 / 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय :-

जनपद सम्मल में टोरेट गैस प्रा०लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन.एच०-509) किमी० चैनेज 34.100 से 41.150 तक बाँयी पटरी एवं किमी० चैनेज 45.600 से 45.750 तक दाँयी पटरी पर 6"Ø स्टील गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP/Pipeline/122517/2021

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल की पत्र संख्या-149/14-1, दिनांक 22-07-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल ने जनपद सम्मल में टोरेट गैस प्रा०लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन.एच०-509) किमी० चैनेज 34.100 से 41.150 तक बाँयी पटरी एवं किमी० चैनेज 45.600 से 45.750 तक दाँयी पटरी पर 6"Ø स्टील गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित 03 मूल प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- प्रस्ताव 03 मूल प्रतियों में।

भवदीय,



(विजय सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 389 / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(विजय सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

